न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00384(228/2016) दायरा दिनांक : 24.05.2016

उनवान

1. जगमोहन पुत्र रामभरोस, जाति मीणा
2. कमलेश पुत्र रामभरोस, जाति मीणा
3. केला बाई बैवा रामभरोस, जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बटावदा ऊंचा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. कंवरलाल आत्मज गोरया उर्फ गोपीलाल जाति मीणा, निवासी बटावदा ऊंचा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
2. सरकार जरिये पटवारी हल्का कडैया नोहर, तहसील छबड़ा, जिला बांरा
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 12.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 101/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम वाके माल बटावदा ऊंचा, तहसील छबडा के खाता संख्या 39 में स्थित खसरा नम्बर 22, 23, 28, 121, 145, 147, 408/1 कुल किता 7 कुल रकबा 3.18 हेक्टर इसी प्रकार खाता संख्या 38 में स्थित खसरा नम्बर 341/1 कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, इसी प्रकार खाता संख्या 40 में स्थित खसरा नम्बर 344 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा पैत्रिक कृषि आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27.01.2016 से वादी की पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध न्याय, विधि एवं संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में निहित साक्ष्य एवं दस्तावेजात का भली भांति विवेवन न कर मनमाने तौर पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। दिनांक 20.10.2015 को पत्रावली वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 नियत थी, तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा समय चाहने के बाद दुबारा दिनांक 02.12.2015 पेशी नियत की गयी, किन्तु उससे पूर्व ही माननीय न्यायालय द्वारा पार्टीज की अनुपस्थिति में ऑर्डरशीट में बाद में जगमोहन व कमला के बयान लिए जाना व शामिल पत्रावली करना दिनांक 20.10.2015 की आदेशिका में पेशी नियत करने के बाद अंकित कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत वादी से मिलकर उसके इशारे पर पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब दावे में नियत होने के बावजूद भी न तो जवाब दावा बंद किया और जवाब दावे से पूर्व ही प्रतिवादी जगमोहन व कमलेश के बयान पत्रावली में रेकार्ड पर लिये जाने वाली बात अंकित कर दी गयी है तथा सहखातेदार राम प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल को भी पक्षकार नहीं बनाया है। दिनांक 13.01.2016 को भी प्रतिवादीगण का जवाब दावा बंद किये ही पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनना अंकित कर निर्णय हेतु दिनांक 27.01.2016 पेशी नियत कर दी गयी जबकि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण की अथवा उनके अभिभाषक महोदय की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई बहस नहीं सुनी है और निर्णय पर्यन्त तक उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी से मिलकर उसको लाभान्वित करने की गरज से न्याय के सिद्धान्तो का दुरूपयोग करते हुऐ वादी के दावे की अन्तिम प्रार्थना के अनुसार हुबहू दावा निर्णित करने में भारी त्रुटि की है। वैसे भी उक्त प्रकरण शामलाती भूमि के सम्बंध में है, जिसका कानून के अनुसार पार्टीशन का दावा द्वारा 53 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1956 के अनुसार होना चाहिए था, किन्तु वादी द्वारा मात्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का दावा कर सभी पक्षकारों की संयुक्त खाते की आराजियात में से राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक अपने अपने हिस्से के मुताबिक दावा डिक्री करवाना चाहिए था, किन्तु वादी द्वारा दुर्भावनावश अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए सम्पूर्ण आराजियात को अपने को मालिक बताते हुए दावा अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया, जो विधिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इसके अलावा निर्णय के पृष्ठ संख्या–3 पर पैरा नम्बर 1 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलेखित किया गया है कि 'पैतृक सम्पत्ति होने से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी का वाद स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काल्पनिक रूप से स्वयं आलेखित किये है, वादी का वाद डिक्री करने में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को घोर आपत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री ज्युडिशियल माईंड अप्लाई नहीं कर कानूनी तथ्यों के विपरीत जाते हुये घोर लापरवाही पूर्ण कृत्य किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टगण सव्यय स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.05.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका दिनांक 20.10.2015 से पत्रावली जवाबदावे में नियत थी लेकिन बीच में ही बयान ले लिये जबकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। गोद को चेलेन्ज सिविल में किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम बटावदा ऊंचा की जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 39 खसरा नम्बर 22, 23, 28, 121, 145, 147, 408/1 कुल किता 7 कुल रकबा 3.18 हेक्टर आराजी जो वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 व प्रतिवादी अपीलांट की सहखातेदारी में दर्ज थी में से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का नाम डिलीट कर स्वयं का सम्पूर्ण आराजी का खातेदार कृषक घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया। वादी का वाद स्वीकार करने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं होना स्वीकार करते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.01.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर उपरोक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का नाम डिलीट कर वादी को खातेदार घोषित किया।

प्रतिवादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलांट व वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 की सहखातेदारी में दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने एवं प्रतिवादीगण को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। जबकि प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने वादी के वाद पर आपत्ति होने का कथन किया है। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.10.2015 को अपने लिखित बयान पेश किये हैं जो पत्रावली के पेज नम्बर 15 पर सलंग्न है। बयान में अपीलांट ने अंकित किया है कि जो दावा न्यायालय में चल रहा है, उनमें हम राजीनामा करना चाहते हैं, हम दोनों पक्षों में कोई विवाद झगडा नहीं करेगा। जिस जमीन का वाद न्यायालय में चल रहा है, हम किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। मेरे पिताजी के खाते की जो जमीन है, उसे मैं राजीखुशी से देना चाहता हूं। हम दोनों भाई सहमत हैं। बयान पर जगमोहन व कमलेश के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मिसल नम्बर 101/2015 कंवरलाल बनाम जगमोहन के साथ एक अन्य पत्रावली सलंग्न होना पाया गया, जिसका मिसल नम्बर 82/2007 उनवान जगमोहन बनाम कंवरलाल है। इस पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मिसल नम्बर 82/2007 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2015 को निर्णय पारित करते हुए खातेदार धूलीबाई बेवा मदनलाल, जाति मीना के खाते की ग्राम बटावदा ऊंचा खसरा नम्बर 28/मिन 1, 31, 141, 143, 340, 341, 408, 412, 487, 503/30, 504/33 कुल किता 11 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा आराजी पर मूल खातेदार मदनलाल द्वारा उसकी पत्नी धूलीबाई की सहमति से दिनांक 23.11.1996 को निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आधार पर वादीगण जगमोहन, कमलेश आत्मज रामभरोस खातेदार घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.11. 1996 एक्जीविट पी 5 ए में स्पष्ट रूप से अंकित है कि मदनलाल आत्मज गणेश के कोई औलाद नहीं थी। मदनलाल और उसकी पत्नी धूलीबाई ने अपीलांट क्रम 1 व 2 के पिता रामभरोस को गोद लिया था। मुताबिक वसीयत रामभरोस का पालन पोषण एवं विवाद मदनलाल व उसकी पत्नी ने ही किया था। रामभरोस व उसकी पत्नी कैला के दो पुत्र हुए जगमोहन व कमलेश। रामभरोस की ट्रेक्टर एक्सीडेंट में मौत होने के बाद जब मदनलाल ने अपनी पत्नी की सहमति से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 23.11.1996 को निष्पादित की तब जगमोहन की आयु 15 वर्ष व कमलेश की आयु 12 वर्ष है, वसीयत में अंकित करते हुए अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर जगमोहन, कमलेश व इनकी माता कैलाबाई को बांट बराबर का अधिकार प्रदान किया है। इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि अपीलांट को मदनलाल की सम्पत्ति प्राप्त होने के कारण ही जगमोहन व कमलेश ने वर्तमान अपीलाधीन निर्णय की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयान प्रस्तुत कर अपने पिता के खाते की जमीन को राजीखुशी से रेस्पोडेंट क्रम 1 को देना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2016 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. जगमोहन पुत्र रामभरोस, जाति मीणा
2. कमलेश पुत्र रामभरोस, जाति मीणा
3. केला बाई बैवा रामभरोस, जाति मीणा

निवासीगण ग्राम बटावदा ऊंचा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. कंवरलाल आत्मज गोरया उर्फ गोपीलाल जाति मीणा, निवासी बटावदा ऊंचा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
2. सरकार जरिये पटवारी हल्का कडैया नोहर, तहसील छबड़ा, जिला बांरा
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2016/00384 (228/2016)** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
मु.द.नं0 **101/2015** निर्णय व डिक्री दिनांक – **27.01.2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **24 माह 02** सन् **2025**

श्री **विद्याशंकर गोस्वामी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **12 माह 03 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)